इस हुक्म की

12/7/21

वादी तथा उनके अधिवक्ता द्वारा कि प्रकरण पत्र प्रकरण निस्तारण आपसी राजीनामे हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली किश्त से तलब की गई। वादी द्वारा प्रा.ज. प्रस्तुत का निवेदन किया कि प्रकरण के आपसी समझौता हो जाने के कारण निस्तारण करना चाहता है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.ज. निरस्त किया जाता वादी का वाद पत्र निस्तारण किया जाता है पत्रावली नियमानुसार घोषित नस्ती हेतु है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राजस्थान)